

exhibits of the following in the year 2008 to 2011
from the

of the 01-04-2008 to 31-03-2011

Hkx&,d

1 of the from the

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत पैरो की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

of the from the of 4@99 to 3@2000 rd

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत

of the from the of 4@2006 to 3@2008 rd

1	पैरा 3	निर्णीत	
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति पैरा 4 में प्रारूपित है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम जमा राशि सम्बन्धित स्थिति पैरा 4(क) में प्रारूपित की है)
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति पैरा 6 में प्रारूपित की गई है)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	

Hkx&nk

2 of the from the

हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2008 से 31.06.2011 के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरो में दिए गए हैं, श्री अनिल कुमार व श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 04.07.2011 से 06.07.2011 तक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में

किया गया। मास 10/2008, 12/2009, 04/2010 आय एवम् माह 06/2008, 11/2009, व 8/2010 के व्यय की विस्तृत जाँच की गई।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अपितु इस विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 यलकक िहकक 'कYद %&

हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के लेखों अवधि 01.04.2008 से 31.03.2011 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹3000/- बनता है जिसे अंकेक्षण दल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या: 109/ऑडिट-2010-2011, दिनांक 06.07.11 द्वारा इस राशि को बैंकर चैक द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को शीघ्र भेजने हेतु आग्रह किया था।

4 foUkh; fLFkfr %&

(क) हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2008 से 31.03.2011 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

o"ki	ikjfeHkd 'k"i	vk;	C;kt	;kx	Hkxrku	vfure 'k"i
2008-09	33346230	—	सेविंग-60497 आर0डी0-930832	34337559	3525000	30812559
2009-10	30812559	10554334	सेविंग-133398.64 आर0डी0-5338224	46838515.64	3632500	43206015.64
2010-11	43206015.64	5100000	सेविंग-275934 आर0डी0-1182384	49764333.64	4403000	45361333.64

जमा का विवरण :-

बचत खाता संख्या 4004 (हिमाचल प्रदेश राज्य को0आ0 बैंक)	5838247.64
सावधि खाते में जमा राशि	39523086.00
	;kx ₹45361333-64

(ख) पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 4(ख) में आपत्ति दर्ज की थी कि ₹92,730.25 की राशि बिना मिलान कर दिनांक 06.01.2007 को रोकड़ बही में आय के रूप में जमा दर्शाकर बैंक के साथ मिलान किया गया था जो कि आपत्तिजनक है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि उक्त राशि की बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए व उक्त राशि अर्थात् ₹92750.25 का मिलान सुनिश्चित किया जाए।

5 l kof/k tek %&

दिनांक 31.03.2011 को सावधि खाते में ₹3,95,23,086/-की राशि निवेश की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट “क” पर दिया गया है।

6 fuf/k l fd, x, 0;; dk lfefr l vueknu djok;k tkuk %&

अंकेक्षक के दौरान पाया गया कि दिनांक 01.07.2005 के पश्चात किए गए व्यय को मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण निधि के लिए गठित समिति से अनुमोदित नहीं करवाया गया है जबकि अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0(ई)(सी)8-1/99, दिनांक 18.09.2003 के पैरा 5 में वर्णित वित्तीय शक्तियों के अनुसार निधि से उपयोग की गई राशि की शक्तियाँ समिति में ही निहित है। अतः निधि से संचालन हेतु गठित समिति से दिनांक 01.07.2005 से 31.03.2011 तक किए गए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इस संदर्भ में अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 (वर्ष 04/2006 से 03/2008) में भी आपत्ति दर्ज की थी परन्तु अंकेक्षण के सुझावानुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि निधि से किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

7 fd, x, Hkxrku d l ECU/k e: ^Hkxrku j l hn** i klr u djuk %&

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से भुगतान जिला उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है। “भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए विभिन्न अभिलेखों की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित रसीदें या तो विलम्ब से प्राप्त की गई हैं या प्राप्त ही नहीं की गई है। निम्नलिखित कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में रसीदें प्राप्त नहीं की गई हैं, जिन्हें अविलम्ब प्राप्त कर अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	पट्टांक	मूल्य
1	04.05.09	नाईक श्री राकेश कुमार, गांव कोहला डा0 जोल सपड़, जिला हमीरपुर (द्वारा उपायुक्त हमीरपुर)	2047666	25,000 /—
2	04.05.09	नाईक श्री कमल सिंह, गांव व डा0 जोल सपड़, जिला हमीरपुर (द्वारा उपायुक्त हमीरपुर)	2047666	25,000 /—
3	05.05.09	नाईक सुबेदार श्री राजेन्द्र सिंह राणा गांव डुहकी, डा0 सिम्बल तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) (द्वारा उपायुक्त कांगड़ा)	2047669	25,000 /—
4	05.05.09	सिपाही प्रदीप कुमार, गांव मझेटा, डा0 सुनिअरा त0 चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) (द्वारा आयुक्त चम्बा)	2047670	25,000 /—
5	11.08.10	श्री रवि कुमार	7697340	3,00,000 /—
6	11.08.10	श्री सुरेन्द्र कुमार	7697340	3,00,000 /—

8 यह अलग से जारी नहीं की गई है।

9 अंकक्षण प्रतिवेदन में पूर्व अंकक्षण प्रतिवेदन वर्ष 04/99 से 03/2000 के पैरों के समायोजन/निपटारे हेतु विषेय कदम उठाए जाएं।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)201/99-खण्ड-1, दिनांक, शिमला-171009.

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. उप सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

वृत्ति : ५